झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1067 वर्ष 2017

गोलोक बिहारी गोप, पे0 स्वर्गीय पद्म लोचन गोप, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, गौरांगकोचा, डाकघर एवं थाना–गौरांगकोचा, सरायकेला–खरसावां।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची, झारखंड।
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची, झारखंड।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, सरायकेला–खरसावां, डाकघर एवं थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्रीमती शुभा झा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री कौस्तव रॉय, सीनियर एस0सी0–III का जे0सी0

05/12.06.2017 इस रिट याचिका में, याची प्रत्यर्थियों को यह निर्देश देने के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे इस याची की एक परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, गौरांगकोचा, सरायकेला–खरसावां में सहायक शिक्षक के रूप में सेवा को मान्यता दें।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि याची के मामले पर प्रत्यर्थियों द्वारा केवल इस आधार पर विचार नहीं किया गया कि वह अप्रशिक्षित शिक्षक था।

यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 05.03.1985 को की गई थी। वर्ष 2012 में ज्ञापन संख्या 2743, दिनांक 06.10.2012 के माध्यम से झारखंड सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि अप्रशिक्षित और प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवाओं को मान्यता देने के लिए चुना जाएगा, जिनकी नियुक्ति 04.02.1989 से पहले की गई थी।

याची के वकील प्रस्तुत करते हैं कि बेशक याची की नियुक्ति 04.02.1989 से पहले की गई थी और उसके मामले पर प्रत्यर्थियों द्वाराा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

राज्य के वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को शिकायत के निवारण के लिए प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन देना चाहिए।

उपर्युक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निपटान याचिकाकर्ता को प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखपंड सरकार, रांची (प्रत्यर्थी संख्या 2) के समक्ष अपनी शिकायत के निवारण के लिए अभ्यावेदन देने की छूट देकर कर रहा हूँ। यदि ऐसा अभ्यावेदन दिया जाता है, तो उस पर विचार किया जाएगा और इस तरह का अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर कथित प्रतिवादी द्वारा उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता को कोई लाभ प्राप्त होता है, तो उसे जल्द से जल्द दिया जाएगा।

इस प्रेक्षण और निर्देश के साथ, इस रिट आवेदन का निपटारा किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)